संख्या 2/9 (2)/74-शिक्षा(3)

प्रेषक,

डा० माया राम, I
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
2/42- संत विहार,
अंसारी रोड, दरियागंज,
दिल्ली ।

लखनऊ दिनांक 28 जून, 1978

विषय - सेन्ट मैरीज स्कूल, बाजपुर, नैनीताल को ''अनापत्ति प्रमाण पत्र''

महोदय,

मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि संस्था की प्रधानाचार्या ने राज्य सरकार से समय समय पर यह अनुरोध किया है कि उपर्युक्त स्कूल को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र दे दिया जाय । संस्था की मांग पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि यदि उपर्युक्त संस्था को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद निर्धारित नियमों के परिप्रेक्ष्य में सम्बद्धता प्रदान करते हैं तो इसमें राज्य सरकार को कोई ''आपत्ति नहीं'' होगी किन्तु संस्था को निम्नांकित शर्तों का पालन करना होगा :-

(I)- संस्था की प्रबंध समिति में राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि अवश्य होगा,
(II)- संस्था को राज्य सरकार द्वारा समय समय पर दिये गये यथा वश्यक निर्देशों का पालन करना होगा,
(III)- संस्था में कार्यरत शिक्षक/ गैर शिक्षक कर्मचारियों को राज्य सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमान एवं अन्य भत्ते अथवा उससे अधिक देना होगा,
(I)- संस्था को राज्य सरकार से किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जायेगा ।

True copy.
[signature] 29-6-78.

भवदीय,
/
(माया राम)
उप सचिव ।

संख्या 2/9 (2)/74-(1)-शिक्षा (3)
= = = = = = = = = = = = =

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को श्री भूधर द्विवेदी, उप शिक्षा निदेशक (संस्कृत) के अर्धशासकीय पत्र संख्या सा0 (2)/4773/16-1/(6)/78-79, दिनांक 9 जून, 1978 के संदर्भ में ।

2- मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, कुमायूं ।

3- जिला विद्यालय निरीक्षक नैनीताल ।

4- जिला विद्यालय निरीक्षक एवं निरीक्षक, अखिल भारतीय विद्यालय, उ0प्र0लखनऊ ।

5- सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0इलाहाबाद ।

6- संस्था के प्रबंधक/ प्रधानाचार्य को उनके पत्र दिनांक 27 जून, 1978 के संदर्भ में ।

आज्ञा से,

ह0
(माया राम)
उप सचिव।